

संख्या- 1650/एक-10-2023-33(12)/2021

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कानपुर नगर, प्रयागराज एवं जौनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 16/11/2023

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹० 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में राहत की वेबसाइट पर फीड/अपलोड किये गये प्रकरणों में बजट के अभाव में लम्बित दर्शित प्रकरणों के भुगतान के लिए निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार ₹० 28,50,000/- (₹० अट्ठाईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

| क्रम सं० | जनपद का नाम | बजट अभाव में भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण | स्वीकृत धनराशि (₹० में) |
|----------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2           | 3                                      | 4                       |
| 1        | कानपुर नगर  | 54                                     | 27,00,000/-             |
| 2        | प्रयागराज   | 02                                     | 1,00,000/-              |
| 3        | जौनपुर      | 01                                     | 50,000/-                |
|          | योग         | 57                                     | 28,50,000/-             |

(₹० अट्ठाईस लाख पचास हजार मात्र)

### नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद या विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि

अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रु० 28,50,000/- (रु० अट्ठाईस लाख पचास हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष- 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

**संख्या-1650(1)/एक-10-2023-33(12)/2021 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ० प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
- 4- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।

- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ० प्र० शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ० प्र०।
- 10- वित्त नियंत्रक, उ० प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

भवदीय,

Signed by शैलेन्द्र मणि  
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनुसूचित-2023 12:28:18  
Reason: Approved



## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-20/11/2023

प्रेषण संख्या:- 1650  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1650  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                 |                    | 42-अन्य व्यय        | योग                 |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 2700000<br>5409691  | 2700000<br>5409691  |
| 2     | प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--  | वर्तमान<br>प्रगामी | 100000<br>6329845   | 100000<br>6329845   |
| 3     | जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 50000<br>6047600    | 50000<br>6047600    |
|       | योग                                 | वर्तमान<br>प्रगामी | 2850000<br>17787136 | 2850000<br>17787136 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ सतहत्तर लाख सत्तासी हजार एक सौ छत्तीस

(जान्हवी मोहन)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन